न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 82/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 28.7.2016
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. द्रोपदीबाई पत्नी राधेश्याम जाति माली निवासी ग्राम जेतलहेडी तहसील मांगरोल जिला बांरा (राज0)

...अपीलाट्स

बनाम

1. भवरलाल पुत्र नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रशेखर कक्कड अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजेन्द्र कुमार भार्गव अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 22.1.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 23/13 बउनवान भंवरलाल बनाम द्रोपतीबाई मे पारित निर्णय दिनांक 17.12.2013 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपील प्रकरण सं0 136/04 मे पारित निर्णय दिनांक 31.8.2006 की पालना मे पुनः सुनवाई कर मृतक रामनाथ द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 8.7.97 सही होना पाये जाने के आधार पर ग्राम ख्यावदा की आराजी ख0 नं0 1119 रकबा 5.04 है0 मे मृतक रामनाथ पुत्र ग्यारस्या माली के हिस्सा 1/3 के स्थान पर भंवरलाल दत्तक पुत्र रामनाथ द्रोपतीबाई पुत्री रामनाथ माली निवासी पीपल्दाखुर्द के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल करने का दिनांक 17.12.2013 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्रोपदीबाई ने अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.8.2006 की अनदेखी कर आरबीट्रेरी रूप से जेरअपील निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व वसीयत की वैधता जांचने हेतु प्रारम्भिक रूप से असल

दस्तावेज को न्यायालय मे तलब नही किया। इस तथ्य पर भी गौर नही की गई कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी आराजी है जिसकी वसीयत करने का विधिक अधिकार स्व0 रामनाथ को नही था। आराजी पुश्तैनी होने से जन्म से ही अपीलांट का आराजी का हक हकूक निहित है। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेजो का पत्रावली से अवलोकन नही किया गया क्योंकि स्व0 रामनाथ जी हस्ताक्षर करते थे उन्होने कभी भी अगूंठा निशानी अंकित नही की। वसीयत पर अगूंठा निशानी अंकित होने से प्रथम दृष्टया ही वसीयत कूटरचित होना प्रकट है जिससे किसी प्रकार विधिक अधिकार का सर्जन नही होता है। तह0 पीपल्दा द्वारा वसीयत की वैधता की जांच नही की गई। नामा0 की प्रकिया फिस्कल प्रोसिडिंग है अतः किसी भी दस्तावेज के प्रथम दृष्टया संदेहास्पद होने पर गुणावगुण पर दस्तावेज की वैधता की जांच नही की जा सकती इसके लिये हितधारी को नियमित वाद प्रस्तुत करना होता है। भंवरलाल स्व0 रामनाथ जी का उत्तराधिकारी व दत्तक पुत्र नही है। ग्राम पंचायत ख्यावदा द्वारा तस्दीक किये गये नामा0 सं0 159 मे भी बिना किसी आदेश के भंवरलाल द्वारा पूर्व मे अपने प्रभाव से कांट छांट करवाई गई। भंवरलाल द्वारा एक पंचनामा दिनांक 11.11.97 को बदनियती पूर्ण आशय से ग्राम पंचायत की मिलीभगत से निष्पादित एंव तैयार करवाया गया था पंचनामे हेतु स्टाम्प क्रय दिनांक 23.11.97 अंकित है जबकि पंचनामा 11.11.97 को आलेखित किया जाना अंकित है। पंचनामे पर सरपंच नटीबाई के हस्ताक्षर भी कूटरचित है उक्त परिस्थितियों मे वर्णित वसीयत के आधार पर नामान्तरण तस्दीक किये जाने का निर्णय तर्कसम्मत व विधिसम्मत नही होने से काबिल निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट स्व0 रामनाथ जी के स्वर्गवास के उपरांत से ही निरन्तर काबिज काश्त है। तहसीलदार पीपल्दा का निर्णय 17.12.2013 वसीयत की वैधता बावत क्षेत्राधिकार बाधित है। डिले कन्डाने हेतु परिसीमा अधिनियिम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की जा रही है। अतः अपील स्वीकार तहसीलदार पीपल्दा का निर्णय दिनांक 17.12.2013 अपास्त किया जाकर अपीलांट के हक मे स्व0 रामनाथ जी के हिस्से की वादग्रस्त आराजी ग्राम ख्यावदा एवं पीपल्दा खुर्द को अपीलांट के खाते राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का आदेश पारित करने की इस्तदुआ की गई।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई। प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 27.12.2018 को लिखित बहस पेश की।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी प्रकरण मे प्रस्तुत लिखित बहस के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि मृतक रामनाथ का अपीलांट एकमात्र वारिस होने के कारण मृतक की खातेदारी की भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था इस पर ग्राम पंचायत ख्यावदा ने दिनांक 24.12.97 को नामा0 सं0 159 दर्ज करने आदेश प्रदान किये फिर बिना किसी आज्ञा व आदेश के इसे काट कर दिनांक 30.12.97 को अपीलांट व रेस्पो0 के नाम आधी–आधी भूमि दर्ज करने के आदेश दिये। इन आदेशो पर सरपंच नट्टीबाई के हस्ताक्षर है पंचायत कोरम के हस्ता0 नही है। जानकारी करने पर सरपंच नट्टीबाई ने ग्राम प0 के पत्र दिनांक 9.3.98 से सूचित किया कि नामा0 पर दस्तखत व मोहर दोनो ही फर्जी है, उसके द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार इन्तकाल प्रारम्भ से ही फर्जीवाडा करके हुआ । उक्त इन्तकाल की अपील एसडीओ इटावा के यहां की गई जिसमे ग्राम पंचायत के आदेश को निरस्त कर प्रकरण पुनः जांच कर निर्णित करने हेतु तहसीलदार पीपल्दा को रिमांड किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 ने अपील न्यायालय हाजा मे पेश की इस अपील को दिनांक 31.8.2006 को अस्वीकार करते हुये एसडीओ के निर्णय को यथावत रखा गया। पत्रावली तहसीलदार पीपल्दा को रिमांड होने पर अपीलांट ने अपने आपको मृतक सुलभी पुत्री होना व रेस्पो0 के द्वारा फर्जी वसीयतनामा बनाने का कथन किया। रेस्पो0 के द्वारा प्रकरण मे कोई वसीयत का दस्तावेज पेश नही किया व वसीयत करने का मौखिक कथन किया। जिसके आधार पर बिना न्यायिक अधिकार के मनमर्जी से बिना दस्तावेजी वसीयत को पेश करवाये आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि मे निहित प्रावधान एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय मूलतया वसीयतनामा को सत्य मानकर किया गया जबकि

वास्तविकता यह है कि मूल दस्तावेज वसीयतनामा न्यायालय मे पेश ही नही किया गया ऐसी स्थिति मे बिना दस्तावेज को देखे दिया गया निर्णय शून्य है तथाकथित दस्तावेज की फोटो प्रति पेश की गई जो न तो प्रमाणित है व न ही यह बताया गया कि यह कहां से प्राप्त हुई है। अतः मूल दस्तावेज न होने पर उसके अस्तित्व की घोषणा करने के अधिकार केवल सिविल कोर्ट है। अधीनस्थ न्यायालय इस प्रकरण मे प्रारम्भ से ही बॉयस्ड था रिमाण्ड होने के पांच वर्ष तक इस पत्रावली को पटके रखा व अपीलांट के सूक्ष्म बयान लेकर रेस्पो0 व उसके गवाहो के बयान दर्ज किये है। वसीयत लेखक पुरूषोत्तम स्टाम्प वेंडर है जिसके बयान अज्ञात कारणो से दिनांक 13.12.13 को दर्ज किये है जबकि पत्रावली की आर्डरशीट मे इसका कही भी उल्लेख नही है। डीड राईटर के लिये स्टाम्प वेडर होना वर्जित है। इस दस्तावेज मे प्रयुक्त स्टाम्प मे क्रेता का नाम पता व उद्धेश्य अंकित नही है यह स्टाम्प फजी दस्तावेज तैयार करने के लिये बदनियति व क्रिमिनल कोन्सपरेन्सी का द्योतक है। इस प्रकार गवाहान के बयानो मे वसीयत का दस्तावेज संदिग्ध व कूटरचित होना प्रकट होता है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि मूल दस्तावेज पेश न होने के कारण व प्रतिलिपी पेश करने की इजाजत नही लेने के कारण रेस्पो0 का कोई क्लेम विधि अनुसार मान्य नही है। अपीलांट मृतक की वैध संतान एवं एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलांट के नाम पर मृतक रामनाथ की समस्त भूमि पर उसे खातेदार अंकित करने के आदेश प्रदान किये जावे। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 14.1.2017 पेज 54–61 व आरआरडी 14.8.2017 पेज 525 का न्यायिक उद्धरण पेश किया गया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व अपील मे पारित निर्णय दिनांक 31.8.2006 की पालना मे पुनः सुनवाई कर मृतक रामनाथ द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 8.7.97 सही होना पाये जाने के आधार पर ग्राम ख्यावदा की आराजी ख0 नं0 1119 रकबा 5.04 है0 मे मृतक रामनाथ पुत्र ग्यारस्या माली के हिस्सा 1/3 के स्थान पर भंवरलाल दत्तक पुत्र रामनाथ द्रोपतीबाई पुत्री रामनाथ माली निवासी पीपल्दाखुर्द के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल करने का दिनांक 17.12.2013 को जेरअपील निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। बहस मे आगे बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये इन्तकाल 159 की अपील एसडीओ इटावा के यहां की गई जिसमे ग्राम पंचायत के आदेश को निरस्त कर प्रकरण पुनः जांच कर निर्णित करने हेतु तहसीलदार पीपल्दा को रिमांड किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 ने अपील न्यायालय हाजा मे पेश की इस अपील को दिनांक 31.8.2006 को अस्वीकार करते हुये एसडीओ के निर्णय को यथावत रखा गया। इस प्रकार रिमांड आदेश की पालना मे तहसीलदार पीपल्दा मे वसीयत के दो गवाह ओमप्रकाश, रामस्वरूप तथा डीडराईटर पुरूषोत्तम के बयान लेकर बयानो से वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध होने पर जेरअपील निर्णय दिनांक 17.12.2013 पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा पहले अपील न्यायालय ए0डी0एम0 कोटा मे पेश की गई जो क्षेत्राधिकार के अभाव मे अपीलांट को लोटा कर सक्षम न्यायालय मे पेश करने के आदेश दिये गये। जंहा तक असली वसीयत पेश नही करने का अपीलांट का कथन है अब तक न्यायालय ने प्रकरण मे प्रस्तुत इसी वसीयत को वर्षो से माना है पहले कभी यह कथन नही किया ऐसी स्थिति मे अपीलीय न्यायालय मे मूल दस्तावेज नही होने संबधी तर्क इस स्टेज पर प्रस्तुत किया जाना उचित नही है। जहां तक अपीलांट का वसीयत कूटरचित होने संबधी प्रश्न है इस संबध मे अपीलांट को सिविल कोर्ट मे चाराजोही करना चाहिये। उक्त

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत लिखित बहस तथा बहस विद्वान उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः अपील प्रकरण मे गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 17.12.2013 की जानकारी होने उपरांत अपीलांटा शीतलहर की चपेट मे आ जाने से व वृद्धावस्था के कारण असक्षम व अन्य आश्रित होने से दिनांक 16.1.2014 के उपरांत दिनांक 3.2.2014 तक अपील पेश करने मे असफल रहना वर्णित कर प्रार्थना पत्र के समर्थन उक्त आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जिसका रेस्पो0 द्वारा कोई प्रतिउत्तर/खण्डन नही किया गया। अतः शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का

पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुवा विलम्ब सद्भाविक होने से न्यायहित मे विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि तहसीलदार पीपल्दा द्वारा मृतक खातेदार द्वारा दिनांक 8.7.1997 को निष्पादित वसीयत गवाह ओमप्रकाश तथा डीड राईटर पुरूषोत्तम के बयानो से सही होना पाये जाने से वसीयत की वैधता पर कोई शंका नही होने पर वसीयत के आधार पर ग्राम ख्यावदा की आराजी ख0 नं0 1119 रकबा 5.04 है0 मे मृतक रामनाथ पुत्र ग्यारस्या माली के हिस्सा 1/3 के स्थान पर भंवरलाल दत्तक पुत्र रामनाथ, द्रोपतीबाई पुत्र रामनाथ माली निवासी पीपल्दाखुर्द के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का जेरअपील निर्णय दिनांक 17.12.2013 को पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय मे असल वसीयत पेश नही की गई, अतः मूल दस्तावेज/वसीयत के अभाव मे व वसीयत फर्जी तथा कूटरचित होने से जेरअपील निर्णय प्रभाव शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख गवाहान के बयानात आदि से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित वसीयत सही होना प्रमाणित पाये जाने पर जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि की जाना प्रकट नही होता है। जहां तक वसीयत फर्जी व कूटरचित होने का अपीलांट का तर्क है इस संबध मे हमारा मत है कि नामा0 की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमे किसी व्यक्ति के स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता है अपीलांट को वसीयत दिनांक 8.7.97 से किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह उसको सक्षम सिविल न्यायालय मे चुनोती देकर अपने हक हकूको का निर्धारण कराने के लिये स्वतंत्र है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 17.12.2013 मे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही पाते है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 22.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा